कार्यालय, भारतीय परिचिकत्सीय एसोसिएशन, लखनऊ

मुख्य कार्यालय–चतुर्थ तल, प्राईम प्लाजा, निकट मुंशी की पुलिया, इंद्रानगर, लखनऊ–226001
कैम्प कार्यालय–द्वितीय तल, सुनील काम्पलैक्स, निकट आर.जी. डिग्री कॉलेज, मेरठ–250001
प्राशासनिक कार्यालय–सी–77, सैक्टर–2, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर–201301
वेबसाईट–www.impmabharat.com

पत्रांक सं0– भा0परा0एसो0 / विधिक / 2025–26 / 3369 **दिनांकः 17 मई, 2025**

ज्ञापन (Memorandum)

प्रति,

माननीय प्रधानमंत्री जी

भारत सरकार।

विषयः प्रार्थना–पत्र बाबत एलाइड हैल्थ केयर के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान हेतु आवश्यक योजनाओं की मांग के संबंध में।

महोदय,

एलाइड हैल्थ केयर इंडियन पैरामेडीकल एसोसिएशन एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जो देशभर के पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स के अधिकारों, कल्याण और मान्यता के लिए कार्यरत है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में इन योद्धाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु आज भी ये वर्ग आर्थिक, सामाजिक और पेशेवर रूप से उपेक्षित है।

इस ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार से निम्नलिखित माँगें करते हैं

हमारी प्रमुख माँगें :

1. **राष्ट्रीय एलाइड हैल्थ केयर रजिस्ट्रेशन योजना**
   (NPR) हर एलाइड हैल्थ केयर प्रोफेशनल का डिजिटल रजिस्ट्रेशन व यूनिक आईडी कार्ड जारी किया जाए।
2. **न्यूनतम वेतन एवं सेवा सुरक्षा अधिनियम**
   सभी प्राइवेट एवं सरकारी संस्थानों में एलाइड हैल्थ केयर स्टाफ के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए। सेवा से हटाने की प्रक्रिया में न्यायिक प्रणाली का पालन अनिवार्य हो।

3. **<u>सरकारी ट्रेनिंग एवं स्किल अपग्रेडेशन</u>**

योजना सभी जिलों में सरकार द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं। आधुनिक चिकित्सा तकनीक में समय–समय पर प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए।

4. **<u>स्वास्थ्य बीमा एवं कार्यस्थल दुर्घटना बीमा योजना</u>**

प्रत्येक पंजीकृत एलाइड हैल्थ केयर स्टाफ के लिए सरकारी स्वास्थ्य बीमा लागू हो। कोविड जैसे संकटों में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर का दर्जा सुनिश्चित हो।

5. **<u>सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता एवं आरक्षण</u>**

सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थानों में भर्ती के समय पंजीकृत एलाइड हैल्थ केयर स्टाफ को प्राथमिकता दी जाए।

6. **<u>स्वायत्त एलाइड हैल्थ केयर काउंसिल का गठन</u>**

एक स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना हो जो लाइसेंसिंग, ट्रेनिंग, शिकायत और नियम निर्धारण का कार्य करे।

7. **<u>छात्रवृत्ति और सस्ती शिक्षा योजना</u>**

एलाइड हैल्थ केयर छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति एवं रियायती शुल्क का लाभ दिया जाए।

8. **<u>सेवानिवृत्ति लाभ</u>**

निजी क्षेत्र में कार्यरत एलाइड हैल्थ केयर स्टाफ के लिए PF, ग्रेच्युटी अनिवार्य की जाए।

9. **<u>कार्यस्थल अधिकार</u>**

कर्मियों को कानूनी और नैतिक अधिकार जो उसके कार्यस्थल पर मिलते हैं जेसे उचित वेतन, सुरक्षित कार्य परिवेश एवं भेदभाव से मुक्त वातवरण, कार्य के लिए निश्चित घंटे, अवकाश के अधिकार और श्रम कानून द्वारा संरक्षित और सुविधाऐं शामिल हो, जिससे एलाइड हैल्थ केयर कर्मियों के सम्मान न्याय और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाये।

10. **<u>संविदा कर्मियों के लिए स्थायित्व :</u>**

अनुबंध पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायी नियुक्ति देने पर विचार किया जाऐ।

11. **<u>मान्यता और पदोन्नति के अवसर :</u>**

उनकी सेवाओं को उचित मान्यता मिले और पदोन्नति की स्पष्ट प्रक्रिया हों, जिससे उनका मनोबल बढ़े।

12. **<u>मानसिक स्वास्थ्य समर्थन :</u>**

स्वास्थ्य कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए परामर्श और सहायता कार्यक्रम चलायें जाऐ।

13. **<u>ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती :</u>**

ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाऐं चलायी जाये, जिससे वहां के लोगों को भी उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाऐं मिल सकें।

14. **<u>महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए विशेष सुविधाऐ :</u>**

महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश सुरक्षित कार्य वातारण और क्रेच (शिशु देखभाल केंद्र) जैसी सुविधाऐं उपलब्ध करायी जाये।

15. **<u>हैल्प लाईन सुविधा :</u>**

स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष हैल्प लाईन शुरू की जाये।

हमारी अपेक्षा है कि उपरोक्त सभी माँगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और इस देश के लाखों एलाइड हैल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उनका हक और सम्मान दिलाया जाएगा।

आपका धन्यवाद।

भवदीय

A Giri

(अभिषेक गिरी)
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
भारतीय पराचिकित्सीय एसोसिएशन